न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 55/2023 — निर्णय दिनांक 23.01.2025

ऑनलाईन नम्बर 2023/105

देवीलाल पुत्र गोरधनलाल जाति जाट निवारी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. झुमा पत्नी गोरधनराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. मांगीलाल (फौत)

2/1 इमरती देवी पत्नी स्व. मांगीलाल
2/2 कन्हैयालाल पुत्र स्व. मांगीलाल
2/3 रूपा पुत्री स्व. मांगीलाल
2/4 मूली पुत्री स्व. मांगीलाल
2/5 पार्वती पुत्री स्व. मांगीलाल

जातियान जाट निवासीगण श्रीडूंगरगढ

3. हंसराज पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व श्रीडूंगरगढ़

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2/3
3. अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/2, 2/4, 2/5 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 394 तादादी 14.2500 रोही मोजा सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 3 का अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा व प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 3 बहिस्सा बराबर 17/54, 17/54 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का नाम देवीलाल पुत्र गोरधनलाल जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ है तथा प्रार्थी का जन्म से ही देवीलाल पुत्र गोरधनलाल नाम है तथा इसी नाम से प्रार्थी के राशन कार्ड में नाम अंकित है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान—पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, वोटरलिस्ट, प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम देवीलाल पुत्र गोरधनलाल अंकित है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान—पहचान, मित्रगण सभी देवीलाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। वादगत खेत खसरा नम्बर 394 तादादी 14.2500 हैक्टेयर जो कि पैतृक सम्पति है जिसमें विरासतन इन्तकाल दर्ज करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

समय प्रार्थी का नाम देवीलाल की जगह देवाराम पुत्र गोरधनराम अंकित हो गया जो कि सही नही है प्रार्थी को वादगत खेत मे केसीसी कार्ड बनवाने हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 06.04.2023 को प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि उपरोक्त खेत के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम देवाराम पुत्र गोरधनराम चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी का देवाराम पुत्र गोरधनराम नाम कभी नही रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहबन व भूल से प्रार्थी का नाम देवाराम अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम देवीलाल है तथा वो ही नाम राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, वोटरलिस्ट, में चला आ रहा है। किन्तू सहबन से राजस्व रिकार्ड में देवाराम नाम अंकित हो गया है प्रार्थी अनपढ़ कृषि पैश व्यक्ति है तथा सदभाविक कृपक भी है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर केसीसी व ऋण लेने हेतू राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही उक्त नाम की जानकारी हुई है, इससे पूर्व प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी । उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र किये जा रहे है। वादगत खेत पैतृक खातेदारी खेत है प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 3 के अलावा वादगत खेत का अन्य कोई खातेदार नही है राजस्व कर्मचारियो की गलती व भूल से प्रार्थी का नाम देवीलाल की जगह देवाराम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया है, ऐसे अंकन के आधार पर प्रार्थी के अधिकार खत्म नही हुए है वरन आज की कायम है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड मे अपना सही नाम अंकित करवा कर दुरूस्ती करवाने अधिकारी है, जिसके लिए यह दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 06.04.2023 को अप्रार्थी संख्या 4 से निवेदन किया कि मेरा नाम देवीलाल है, तो अप्रार्थी ने मेरा सही नाम करने से इन्कार कर दिया मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से देवाराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम देवीलाल पुत्र गोरधनलाल अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी सख्या 4 ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी सख्या 4 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 3 वादगत खेत के सहखातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण को फोरमल पक्षकार बनाये गये है जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादगत भुमि ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 394 तादादी 14.2500 हैक्टेयर वाके रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का गलत नाम देवाराम पुत्र गोरधनराम अंकित हुआ है उसके स्थान पर देवीलाल पुत्र गोरधनलाल जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested

करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 के फौत की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण संख्या 2 के कायम मुकाम को 2/1 से 2/5 अप्रार्थीगण पक्षकार संयाजित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षके पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2/1, 2/2, 2/4 व 2/5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 2/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी अनापति पेश की गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 394 तादादी 14.2500 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का अशुद्ध नाम देवाराम पुत्र गोरधनराम के स्थान पर शुद्ध नाम देवीलाल पुत्र गोरधनलाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत् रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested